भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 323

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

323. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि एक भी पात्र छात्र इस योजना से वंचित न रहे ताकि पात्र छात्रों के लिए योजना का शत-प्रतिशत कवरेज किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

अनुसूचित जातियों के लिए

i. अनुसूचित जातियों के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)

ii. अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए

i. भारत में अध्ययनरत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

ii. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

(ख) से (ग):

अनुसूचित जातियों के लिए

अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 से, अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) और 2022-23 से, अनुसूचित जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना डीबीटी मोड में लागू की जा रही है, जिसमें छात्रवृत्ति की राशि का केंद्रीय हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा छात्रवृत्ति राशि का उनका हिस्सा वितरित करने के बाद सीधे लाभार्थी छात्रों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी उपलब्धता को अधिकतम करने और इसके कवरेज का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड, स्कूल समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठकों में चर्चा और अन्य जन जागरूकता उपायों के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान चलाया जाता है।

इसके अलावा, योजना का विवरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है और नियमित अंतराल पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

पिछले वर्ष अर्थात वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई धनराशि और योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई धनराशि (रुपए करोड़ में)	वर्ष 2023-24 के दौरान लाभार्थी (संख्या लाख में)
1.	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	446.65	21.29
2.	अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	5475.42	47.38

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

पिछले वर्ष अर्थात 2023-24 के दौरान जारी की गई निधियों और योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले ओबीसी छात्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई धनराशि (रुपए करोड़ में)	वर्ष 2023-24 के दौरान लाभार्थी (संख्या लाख में)
1.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	195.45	19.87
2.	भारत में अध्ययनरत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	988.06	35.73

(घ): प्रश्न (क) से (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****